HRT an UNIVA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2010/श्रावण 13, 1932

No. 197]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2010/SHRAVANA 13, 1932

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2010

सं. पी.एस.बी./पी.ई.एन/अमेन्ड/1/2010.—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 जो धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित है, के अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन किया है यथा :—

- 1. (1) ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 कहे जाएंगे।
- (2) सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से ही यह प्रभाव में आएंगे।
- 2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके आगे कथित विनियमन नाम से संदर्भित) के विनियम 2 में खण्ड (ओ) के उप-खण्ड (सी) में निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :-
 - "(सी) पुत्र अथवा पुत्री जिसमें विधवा या तलाकशुदा पुत्री शामिल है, जब तक वे पच्चीस साल के होते हैं या विवाह या पुनर्विवाह कर लेते हैं, जो भी पहले हो और इसमें विधिक रूप से दत्तक पुत्र या पुत्री शामिल है।"
- 3. कथित विनियमनों में, उप-विनियम (3) के बाद विनियम 8 में निम्नलिखित उप-विनियम लगा दिया जाएगा, यथा :-

- "(4) न्यासी की नियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी तथा बैंक ऐसे न्यासी को भी पुन: नियुक्त कर सकता है जिन्होंने अपनी सेवावधि की पूर्ति कर ली है, बशर्ते कि किसी भी न्यासी को दो सेवा काल से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाए।"
- 4. कथित विनियमों में, विनियम 9 में निम्नलिखित परंतुक को लगा दिया जाएगा यथा :-
 - "बशर्ते कि ऐसे सभी निदेश लिखित रूप से दिये जाएंगे और प्रयोजन या उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करेंगे ।"
- 5. कथित विनियमनों में, विनियम 10 के उप-विनियम (2) में प्रारम्भिक अंश में "प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सौ अस्सी दिनों के अन्दर" की जगह में "बैंक के तुलन-पत्र के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के अंदर" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

एच. एस. लाम्बा, महा प्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन [[]/4/134/10-असा.]

पाद टिप्पण: मूल विनियमन, भारत के राजपत्र में दिनांक 29-9-1995 को प्रकाशित किये गये थे तथा उसके पश्चात् किये गये संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्या में निम्नानुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये:-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	1/1999	9-9-1999
2.	1/2002	22-4-2002
3.	6/2002	5-12-2002
4.	1/2004	5-8-2004

PUNJAB AND SIND BANK

(HEAD OFFICE, NEW DELHI)

NOTIFICATION

New Delhi; the 28th July, 2010

No. PSB/PEN/AMEND/1/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab and Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab and Sind Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the Punjab and Sind Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulation, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Punjab and Sind Bank (Employees') Pension Regulation, 1995, (hereinafter referred as the said regulation), in regulation 2, in clause (O), for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
 - "(c) son or daughter including widow or divorced daughter till he or she attains the age of twenty five years or upto his or her marriage or remarriage, whichever is earlier including such son or daughter adopted legally;"
- 3. In the said regulations, in regulation 8 after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted namely:—

"(4) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may re-appoint a trustee who has already completed his term:

Provided that no trustee shall be appointed for more than two terms."

4. In the said regulations, in regulation 9, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective."

5. In the said Regulations, regulation 10, in subregulation (2), in the opening portion, for the words "Within one hundred and eighty days from the closing of each financial year" the words "Within sixty days from the date of publication of the Balance Sheet of the Bank" shall be substituted.

H. S. LAMBA, General Manager (Personnel)

[ADVT III/4/134/10-Exty.]

Foot note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29-9-1995 and subsequent amendments were published in the Gazette of India as unders:

Sl. No.	Notification No.	Date
· 1.	1/1999	9-9-1999
2.	1/2002	22-4-2002
3.	6/2002	5-12-2002
4.	1/2004	5-8-2004.